

संख्या - 2223 / 15-7-04 - 101 981 / 2004

प्रेषण

श्रीम प्रकाश गुप्त  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या केन्द्र-2, तम्रिय केन्द्र,  
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विभाग 471 अनुभाग

तखत: विभाग:

08 जुलाई 2004

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल सैक्टर-19, इन्दिरानगर, लखनऊ की सी0वी0एस0ई0  
नई दिल्ली में संयुक्तता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्य जलें भिजाने ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त संयुक्तता विधान पत्र सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली में संयुक्तता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्य जलें भिजाने की प्रतीक्षा के अधीन आपत्ति नहीं है।

11 विद्यालय की पंजीकृत माता-पिता को समय-समय पर सूचनाएं भेजी जायगी ।

12 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाएं दी जायगी ।

13 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उक्त 3000 नोंडिशों पर उक्त विधान पत्र में विधान पत्रों के लिए निर्धारित शुल्क नहीं लीया जायेगा ।

GHAZALA AFSAR RUPAK  
PRINCIPAL  
Delhi Public School  
Indira Nagar,  
Lucknow



Manager  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
Sector-19, Indira Nagar,  
Lucknow

संस्था द्वारा राज्य सरकार से इसी अनुदान के बारे में जानकारी दी जायेगी और यदि पूर्व में विगत वर्ष आपकी संस्था में उक्त अनुदान पर शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर शिक्षा परिषद/नौविन कार्ड दि 01/07/04 के तहत सूचनाएं दी जायेंगी नई दिल्ली में प्राप्त होंगे है या नहीं परीक्षा पूर्व उक्त अनुदान परीक्षा की तैयारी प्राप्त करने के लिए तैयार 3000/संस्था शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः संभावित हो जायेगा ।

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश/आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का 'रिकार्ड' निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त के अतिरिक्त प्रतिबंध यह भी होगा कि विद्यालय द्वारा निम्नांकित कमियों का निराकरण 03 माह के अन्दर कराया जायेगा :-
  - 1- विद्यालय में सभी प्रशिक्षित अध्यापक तैनात किये जायेंगे ।
  - 2- सभी कर्मचारियों का शिक्षण/शिक्षोत्तर निर्धारित वेतनमान दिया जायेगा ।
  - 3- शिक्षण वृक्ष निर्धारित मानकानुसार बनाये जायेंगे ।
- 3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

पूर्वोक्त दिनांक तद्वय

GHAZALA AFSAR RUP  
PRINCIPAL  
Delhi Public School  
Indira Nagar, Lucknow

तलिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, ऑग्नल भारतीय विद्यालय ड0प्र0, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर-19, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
- 6- गार्ड फाइल ।

Manager  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
Sector-19, Indira Nagar  
Lucknow

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।